उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 33/एन0बी0/एस0बी0/2022

जयपाल सिंह चौहान, उ0नि0 ना0पु0, आयु 37 वर्ष, पुत्र श्री सियाराम चौहान, स्थाई निवासी ग्राम शिखा, थाना व तहसील चकराता जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर (रूदपुर)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः नदीम उद्दीन एवं आसिफ अली याचीकर्ता के अधिवक्ता।

श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः अक्टूबर 12, 2022

प्रस्तुत याचिका में याचीकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया है :–

''क– अलोच्य दण्ड व आदेश दिनांकित 09.06.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 05.08.2020 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें।

ख– याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें।

ग– अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितयों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे।

घ– याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।''

2. संक्षेप में, प्रस्तुत याचिका के तथ्य निम्न प्रकार हैंः

3. याची 2008 में उत्तराखण्ड पुलिस विभाग सब इंस्पैक्टर पद पर भर्ती हुआ तथा वर्तमान में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में जिला पौड़ी गढ़वाल, थाना कोटद्वार में तैनात है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2008 से 14 वर्षो से पुलिस विभाग की सेवा में है। वर्ष 2015 में याची की थाना किच्छा पर तैनाती से पूर्व दिनांक 31.10.2015 को एक मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 252/2015 धारा 323/525/307/452/504/506 आई.पी.सी. बनाम उमेश चन्द्र व आशीष कुमार पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 वि0श्रेणी शेखरानन्द के सुपुर्द की गयी। तत्पश्चात दिनांक 06.11.2015 को विवेचना उ0नि0 खुशवन्त सिंह को सौंपी गयी। दिनांक 26.03.2016 को याची की तैनाती थाना किच्छा में की गयी। इसके उपरान्त दिनांक 01.04.2016 को इस मुकदमें की विवेचना याची के सुपुर्द की गयी। उक्त विवेचना के अतिरिक्त याची को 32 अन्य विवेचनायें भी सौंपी गयी। याची के पास इस मुकदमें की विवेचना दिनांक 01.04.2016 से 11.04.2017 तक उसका स्थानान्तरण थाना काशीपुर होने तक रहीं। इस अवधि में कानून व्यवस्था तथा अन्य ड्यूटी के अतिरिक्त इन सभी विवेचनाओं का कार्य उसके द्वारा पूर्ण कर्मठता व लगन से किया गया। इस मुकदमें में एक अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना पूर्ण करके आरोप पत्र भी प्रेषित किया गया तथा अन्य बिहार के अभियुक्तों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए का नोटिस तामील कराकर अग्रिम कार्यवाही की गयी।

4. दिनांक 23.03.2019 को थाना किच्छा पर दर्ज उक्त मुकदमा एफ.आई0आर. संख्या 252/2015 धारा 323/ 525/ 307/ 452/504/506 आई.पी.सी. बनाम उमेश चन्द्र व आशीष कुमार में दिनांक 02.05.2016 से 22.02.2017 तक 9 माह तक कोई विवेचनात्मक कार्यवाही न करने के आधार पर प्रारम्भिक जांच कराने के आदेश विपक्षी सं0 03 द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) महोदय, जनपद उधमसिंह नगर को दिये गये। श्रीमान पुलिस अधीक्षक (अपराध) महोदय जनपद उधमसिंह नगर द्वारा बिना किसी सम्बद्ध कारण को उल्लेखित किये बिना किसी वैध आधार के, दिनाक 02.05.2016 से दिनांक 22.02.2017 तक कोई भी विवेचनात्मक कार्यवाही न कर, विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित रखने तथा विवेचना पार्ट पेन्डिंग होने का उल्लेख थाना के अपराध रजिस्टर में न करने के दोषी होने का याचीकर्ता के विरूद्ध निष्कर्ष देते हुये प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांकित 19.12.2019 विपक्षी सं0 3 को प्रेषित की। उक्त जांच आख्या की प्रति याचिका का संलग्नक 3 है।

5. श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) महोदय, उधमसिंह नगर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता अकर्मण्यता एंव स्चेच्छाचारिता का द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुये, विपक्षी सं0 03 ने कारण बताओं नोटिस संख्या द–55/2020 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 याची की वर्ष 2019 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। उक्त नोटिस की प्रति याचिका की संलग्नक 4 है। उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये, उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। उक्त उत्तर की प्रति याचिका की संलग्न 5 है। विपक्षी सं0 03 ने कोई स्पष्ट आधार व करण दिये बगैर ही वर्ष 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–55/2019 दिनांक 09 जून, 2020 पारित कर दिया। उक्त आदेश की प्रति याचिका की संलग्न 1 है। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील की प्रति याचिका की संलग्नक 6 विपक्षी सं0 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांक सीओके–150(16)/2020 दिनांकित 05 अगस्त, 2020 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश याचिकाकर्ता को 16.08.2020 को प्राप्त कराया गया। उक्त अपीलीय आदेश की प्रति उक्त याचिका का संलग्नक 2 है।

6. अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी /कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46(1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 86(1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 87(1) के अन्तर्गत इस विषय से संबंधी कोई नियम या विनियम वर्तमान तक लागू नही किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एंव अपील नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित होने की कोई सूचना नहीं है इसलिये भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड में लागू नहीं है। इसलिये उक्त विभागीय कार्यवाही अवैध तथा नियम विरूद्ध है तथा केवल इस आधार पर ही उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned)

आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी /कर्मचारी की दंड एवं अपील नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के प्रावधानों के भी उल्लंघन में पारित किये गये हैं। अलोच्य (impugned) आदेश जिस प्रारम्भिक जांच आख्या एसपी–क्राइम प्रा0जांच (01) /2019 दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के आधार पर दिया गया है उसके निष्कर्ष भी न तो तथ्यों से सुसंगत हैं और न ही प्रकरण के सभी तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार करके ही दिये गये है। इसलिये उक्त प्रारम्भिक जाचं स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये इसके आधार पर दिया उक्त आदेश भी अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned) आदेश प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर किया गया है जबकि प्रारम्भिक जांच का प्रयोजन दण्ड देना न होकर केवल आगे कार्यवाही के आधार पता लगाना होता है। इसलिये भी इसके आधार पर दिया गया उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

7. विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के उपरोक्त तर्कों के खण्डन में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करते हुए संक्षेप में निम्न कथन किया है कि– वर्ष 2016–17 में जब उप निरीक्षक ना0पु0 जयपाल सिंह थाना किच्छा जनपद उधमसिंह नगर में नियुक्त थे तो दिनांक 31.10.2015 को थाना किच्छा पर वादी श्री अविनाश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता निवास ग्राम गंगापुर पटिया प्रतापपुर थाना किच्छा जनपद उधमसिंह नगर द्वारा प्र0सू0रि0 सं0 252/15 धारा 323, 325, 307, 452,506 भा0द0वि0 बनाम उमेश चन्द्र उर्फ प्रकाश चन्द्र व आशीष कुमार उर्फ पवन कुमार पंजीकृत कराया गया था जिसकी प्रारम्भिक विवेचना उप निरीक्षक विशेष श्रेणी शेखरानन्द के सुपुर्द की गयी थी जिनके द्वारा दिनांक 02.11.2015 को सीडी प्रथम किता की गयी तत्पश्चात दिनांक 06.11.2015 को विवेचना उप निरीक्षक खुशवन्त सिंह के सुपुर्द की गयी जिनके द्वारा अभियोग में सीडी द्वितीय से सीडी अष्टम तक किता की गयी। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2016 को अभियोग की विवेचना इनके सुपुर्द की गयी जिसमें इनके द्वारा दिनांक 26.02.2017 को पर्चा तेरह किता कर अभियुक्त आशीष के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करते हुए दूसरे अभियुक्त उमेश के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखते हुए दिनांक 10.03.2017 को एससीडी प्रथम एवं दिनांक 11.04.2017 को एससीडी द्वितीय किता की गयी।

8. प्रश्नगत प्रकरण में सम्पादित की गयी जांच से विवेचना इनके पास दिनांक 02.05.2016 से दिनांक 22.02.2017 तक विवेचना तक विवेचनाधीन रहने परन्तु इस अवधि में कोई भी विवेचनात्मक कार्यवाही न कर विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने तथा अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त

अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेंडिग होने का उल्लेख थाने के अपराध रजिस्टर में न करने का दोषी पाया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही न कर विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना एवं अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेन्डिग होने का उल्लेख थाने के अपराध रजिस्टर में न करना आपका आपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही है। उक्त प्रकरण की नियमानुसार निष्पक्ष प्रारम्भिक जाचं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद उधमसिंह नगर द्वारा दी गयी, सम्पूर्ण प्रारम्भिक जाचं में अंकित किये गये कथनों व उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर थाना किच्छा पर पंजीकृत प्र0सू0रि0सं0–252/2015 धारा 323, 325, 307, 452, 504, 506, भा0द0वि के अभियोग की विवेचना में उप निरीक्षक ना0पु0 श्री जयपाल सिंह चौहान द्वारा दिनांक 02.05.2016 से दिनांक 22.02.2017 तक कोई विवेचनात्मक कार्यवाही कर विवेचना को अनावश्यक रूप से अपने पास लम्बित रखना तथा अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेन्डिग होने का उल्लेख थाना के अपराध रजिस्टर में न करने का दोषी पाया गया।

9. उप निरीक्षक ना0पु0 श्री जयपाल सिंह चौहान को कार्यालय के समसख्यक नोटिस दिनांक 30.12.2019 के द्वारा परिनिन्दा लेख प्रदान किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में याची उप निरीक्षक श्री जयपाल सिंह चौहान द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 21.01.2020 को इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। प्रकरण में सम्पादित की गयी जांच से विवेचना इनके पास दिनांक 02.05.2016 से दिनांक 22.02.2017 तक विवेचनाधीन रहने परन्तु इस अवधि में कोई भी विवेचनात्मक कार्यवाही न कर विवेचना को अनावश्यक रूप से अपने पास लम्बित रखने तथा अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेन्डिक होने का उल्लेख थाने के अपराध रजिस्टर में न करने का दोषी पाया गया है।

10 इस प्रकार इनके द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही न कर विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना एवं अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेन्डिग होने का उल्लेख थाना के अपराध रजिस्टर में न करने का दोषी जाये जाने के उपरान्त ही प्रश्नगत नोटिस निर्गत किया गया है। जो विधिसम्मत एवं नियमानुकूल है। इस प्रकार आरोपी उप निरीक्षक ना0पु0

जयपाल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नही है, जिसे सन्तोषजनक नही पाया गया है। अतः संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) बी एवं उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली –1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) की विभागीय कार्यवाही के निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित परिनिन्दा प्रविष्टि याची उप निरीक्षक जयपाल सिंह चौहान की चरित्र पंजीका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त प्रकरण में आरोपी उप निरीक्षक ना0पु0 जयपाल सिंह चौहान द्वारा दण्डादेश संख्याः द–55/2019 दिनांक 09.06.2020 प्रदान की गयी ''वर्ष 2020 में दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि'' के दण्डादेश के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा अपने आदेश पत्रांक संख्याः सीओके–150(16)/2020 दिनांक 05.08.2020 के माध्यम से अपीलार्थी उप निरीक्षक ना0पु0 जयपाल सिंह चौहान द्वारा की गयी अपील में कोई बल नही है। अतः उप निरीक्षक ना0पु0 जयपाल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकृत की गयी है।

11. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता गण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

12. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया की याचीकर्ता जब थाना किच्छा जनपद उधमसिंह नगर में नियुक्त था, तो दिनांक 01.04.2016 को एफ. आई.आर सं0 252/2015 धारा 323 /525/307/452/504/506 भारतीय दण्ड संविधान बनाम उमेश चन्द्र व आशीष कुमार की विवेचना याची के सुपुर्द की गयी और जिसमें याचीकर्ता के विरूद्ध जांचकर्ता अधिकारी द्वारा यह अरोप लगाया गया है कि याचीकर्ता द्वारा दिनांक 02.05.2016 से दिनांक 22.02.2017 तक कोई भी विवेचानात्मक कार्यवाही न कर विवेचना को अनावश्क रूप से लम्बित रखा गया तथा अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेडिंग होने का उल्लेख थाना किच्छा के अपराध रजिस्टर में नहीं किया गया। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि याचीकर्ता द्वारा थाना किच्छा में अपनी नियुक्ति देने के उपरान्त उक्त मामले के अतिरिक्त 31 अभियोगों की विवेचना तपतीश हेतु प्राप्त हुई थी तथा याची अन्य राजकीय कार्यो में भी नियुक्त रहा और याचीकर्ता द्वारा अभियुक्त उमेश कुमार जो बिहार का रहने वाला था को टेलीफोन पर

अवगत कराकर कोतवाली किच्छा में उक्त अभियोग में अपने बयान दर्ज करने हेतु बार–बार कहा गया था परन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 41(क) द0प्र0सं0 का नोटिस कान्सटेबिल सुभाष यादव के द्वारा बिहार में उनके घर पर जाकर तामील करवाया गया तथा अभियुक्त उमेश कुमार की पार्ट पेंडिग विवेचना क्षेत्राधिकारी सितारगंज कार्यालय किच्छा के प्राप्ति रजिस्टर में भी अंकित है। तत्पश्चात् दिनांक 11.04.2017 को याची का स्थानान्तरण कोतवाली काशीपुर हो गया था याची द्वारा जानबूझ कर के कोई भी त्रृटि नहीं की गई है तथा कारण बताओ नोटिस संलग्न 4 में याची को उसके उक्त कार्य की परिनिन्दा प्रविष्टि किये जाने के दण्ड का उल्लेख दण्डादेश पारित करने से पहले ही किया गया है। जो विधि विरूध है याची द्वारा जानबूझ कर कोई त्रृटि नहीं की गयी है और याची के द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर में दिये गये स्पष्टीकरण को नजर अन्दाज किया गया है तथा विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पुरी तरह स्वेच्छाचारितापूर्ण से पारित किया गया है और जिसके विरूद्ध विपक्षी सं0 2 के समक्ष अपील योजित की गयी विपक्षी सं0 2 द्वारा भी याचीकर्ता की अपील पर कोई सहानुभूतिपर्ण विचार नहीं किया गया था तथा याचीकता को अपील में दिनांक 05 अगस्त, 2020 को निरस्त किया गया। अतः याचीकर्ता की याचिका स्वीकार कर विपक्षीगण 2 व 3 द्वारा पारित परिनिन्दा दण्डादेश अपास्त किया जावे तथा याचीकर्ता की याचिका तद्नुसार स्वीकार की जावे।

13. जबकि विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया गया कि याचीकर्ता को उक्त मामले की विवेचना मिलने के बाद 9 माह तक कोई भी विवेचनात्मक कार्यवाही नहीं की गई और थाना किच्छा से थाना काशीपुर अपना स्थानान्तरण होने पर अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेडिंग होने का उल्लेख थाना किच्छा के अपराध रजिस्टर में नही किया गया, जिसका पूर्ण दायित्व याचीकर्ता का था तथा प्रस्तुत मामले में जांच अधिकारी द्वारा भी संबंधित गवाहन के बयानात लिये गये जिनके आधार पर याचीकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप गवाहन के बयानात से पुरी तरह सिद्ध होने के बाद याचीकर्ता को कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध याची द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर संलग्नक 5 पृष्ठ 65 के द्वितीय पैरा में इस बात को स्वीकार किया गया कि ''**मुझ उ0नि0 द्वारा कोतवाली काशीपुर स्थानान्तरण जाने से पूर्व अभियोग में SCD किता कर क्षेत्राधिकारी कार्यलय समय से प्रेषित कर दिया गया था जिसका अंकन मुझ उपनिरीक्षक द्वारा भूलवश अपराध रजिस्टर में नहीं किया जा सका परन्तु उसका अंकन क्षेत्राधिकारी**

सितारगंज कार्यालय के संबंधित रजिस्टर में है। '' विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि जहां तक कारण बताओ नोटिस में दण्ड का उल्लेख करने का प्रश्न है के बावत लघु दण्ड के संबंध में पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(2) बी एवं उत्तराखण्ड [उ0 प्र0 अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 अनुकूलन उपांतरण आदेश 2002 के नियम 14 (2) की विभागीय कार्यवाही के निहित प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित किये गये हैं जिसमें कोई वैधानिक त्रृटि नही है तथा याचीकर्ता की याचिका में कोई बल नही है, निरस्त की जावे।

14. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मु0 अपराध सं0 252/2015 दिनांक 31.10.2015 को थाना किच्छा जिला उधमसिंह नगर में अभियुक्तगण उमेश चन्द्र व आशीष कुमार के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ओर जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी शेखरानन्द के सुपुर्द की गयी तत्पश्चात दिनांक 06.11. 2015 को विवेचना उपनिरीक्षक खुशवंत सिंह को सौंपी गयी और याचीकर्ता की तैनाती दिनांक 26.3.2016 को थाना किच्छा में की गयी इसके उपरान्त दिनांक 01.4.2016 को उक्त आपराधिक मामले की विवेचना याचीकर्ता के सुपुर्द की गयी तथा दिनांक 02.5. 2016 से दिनांक 22.02.2017 यानी 9 माह तक कोई विवेचनात्मक कार्यवाही याची द्वारा नहीं की गयी तथा अभियुक्त आशीष के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध विवेचना पार्ट पेंडिग का उल्लेख थाना के अपराध रजिस्टर में नहीं किया गया और जिस बात का स्वयं याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रतिउततर में भी किया है कि ''**भूलवश अपराध रजिस्टर में अंकन नहीं किया जा सका**'', स्वीकार किया है। जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक खुशवंत सिंह के बयान अंकित किये गये और उसके द्वारा अपने बयानात में यह स्वीकार किया गया कि **''मेरे द्वारा दिनांक 06.11.2015 को विवेचना ग्रहण कर पर्चा द्वितीय किता किया गया। मेरे द्वारा दिनांक 12.11.2015 को बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल किया गया, जिसमें पर्चा चतुर्थ किता किया गया। दिनांक 11.12.2015 को सप्लिमेंन्ट्र रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसका पर्चा पंचम किता किया गया। दिनांक 12.01.2016 को सप्लिमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त कर पर्चा षष्टम तक किता किया गया। मेडिकल व सप्लिमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक 06.03.2016 को वादी के बयान लिये गये, जिसमें पर्चा सप्तम किता किया गया तथा दिनांक 10.03.2016 मेडिकलकर्ता चिकित्सक के बयान लिये गये, जिसमें पर्चा अष्टम किता किया गया। इस दौरान मुझ उपनिरीक्षक/विवेचक द्वारा अन्य विवेचना, जांच प्रार्थना पत्र लॉ एण्ड आर्डर की ड्यूटी की गयी।''**

15. उक्त गवाह के बयानात से यह स्पष्ट है कि उपनिरीक्षक खुशवंत सिंह द्वारा पर्चा अष्टम तक किता किया गया था जिसके उपरान्त याची उपनिरीक्षक जयपाल सिंह चौहान द्वारा विवेचना ग्रहण होने बावत पर्चा नवम् किता किया इसके उपरान्त पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन करने बावत पर्चा दशम किता किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्चा 11 किता किया गया कान्सटेबिल सुभाष यादव द्वारा अभियुक्त उमेश कुमार के घर जाकर तामील करवाये गये नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) द0प्र0सं0 का पर्चा 12 एवं नोटिस तामील होने के पश्चात अभियुक्त आशीष के विरूद्ध दिनांक 26.2.2017 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध पार्ट पेडिंग विवेचना का उल्लेख थाना किच्छा के अपराध रजिस्टर में नहीं किया गया जिसका पूर्ण दायित्व याचीकर्ता का था जैसा कि पुलिस महानिरीक्षक कुमांऊ परिक्षेत्र द्वारा भी अपने आदेश दिनांकित 05.08. 2020 में उल्लेख किया गया। जहां तक पिटीशनर के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि विपक्षी सं0 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा कारण बताओ नोटिस में याची को देय लघु दण्ड (परिनिन्दा लेख) का उल्लेख पूर्व में ही कर, दण्ड देना सुनिश्चित कर दिया था जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, के संबंध में नियमावली –1991 में सपष्टतः लघु दण्ड के व्यवस्था बावत प्रावधान निम्नवत् हैः–

> *"4. Punishment (1)The following punishments may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed upon a Police Officer, namely:-*
> *(a) Major Penalties :-*
> *(i) Dismissal from service,*
> *(ii) Removal from service.*
> *(iii) Reduction in rank including reduction to a lower scale or to a lower stage in a time-scale,*
> *(b) Minor Penalties :-*
> *(i) With-holding of promotion.*
> *(ii) Fine not exceeding one month's pay.*
> *(iii) With-holding of increment, including stoppage at an efficiency bar.*
> *(iv) Censure.*
> *(2)……..*
> *(3)……..."*
> *"5. Procedure for award of punishment-*
> *(1) The cases in which major punishments enumerated in Clause (a) of sub-rule (1) of Rule 4 may be awarded shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (1) of Rule 14. (2) The case in which minor punishments enumerated in Clause (b) of sub-rule (1) of Rule 4 may be awarded, shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (2) of Rule 14. (3)……."*
> *"14. Procedure for conducting departmental proceedings-*
> *(1) Subject to the provisions contained in these Rules, the departmental proceedings in the cases referred to in sub-*

> *rule (1) of Rule 5 against the Police 6 Officers may be conducted in accordance with the procedure laid down in Appendix I.*
> ***(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) punishments in cases referred to in sub-rule (2) of Rule 5 may be imposed after informing the Police Officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal.***
> *(3)………………………"*

16. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा दिनांक 2.5.2016 से दिनांक 22.2.2017 तक लगभग 9 माह तक उक्त मामले में कोई विवेचनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी तथा दिनांक 26.02.2017 को अभियुक्त आशीष के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त अभियुक्त उमेश कुमार के विरूद्ध लम्बित पार्ट पेडिंग विवेचना के संबंध में थाने में पार्ट पेडिंग अपराध रजिस्टर में अंकन नहीं किये जाने के कारण याचीकर्ता को विपक्षी सं0 2 द्वारा पारित लघु दण्डादेश दिनांकित 09.06.2020 व उसके विरूद्ध याची द्वारा विपक्षी सं0 2 पुलिस महानिरीक्षक कुमांऊ परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष की गयी अपील में पारित पुष्टि आदेश दिनांकित 05.08.2020 में कोई वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि न होने के कारण याचीकर्ता की याचिका में कोई बल नहीं है तदनुसार याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जाती है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय स्वयं अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः अक्टूबर 12, 2022 **(राजेन्द्र सिंह)**
देहरादून। उपाध्यक्ष(न्यायिक)